सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 7, गुरूवार, शाके 1943–जुलाई 29, 2021
Sravana 7, Thursday, Saka 1943- July 29, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।

अधिसूचना

उदयपुर, जुलाई 29, 2021

संख्या युडीआर/1120/एम.पी./नाथद्वारा/ :-राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35, संवत् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र में नाथद्वारा सहित कुल 17 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर अधिसूचना क्रमांक प.10(8)नविवि/3/97 दिनांक 13.07.2011 को जारी कर अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत नाथद्वारा प्रारूप मास्टर प्लान-2031 पर जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक अधिसूचना दिनांक 28.03.2012 को जारी कर इसे प्रकाशित किया गया। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में नाथद्वारा का मास्टर प्लान-2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर इसे जनहित में दिनांक 22.11.2012 को लागू किया गया।

नाथद्वारा नगर धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान ही नहीं वरन् भारत एवं विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी व विदेशी पर्यटक आते है जिस कारण शहर में आने-जाने एवं घूमने हेतु सडको की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। नगर पालिका, नाथद्वारा के अनुसार गौरवपथ एक महत्वपूर्ण सडक है जिससे नाथद्वारा निवासी ही नहीं वरन् पर्यटक भी लाभान्वित होंगे। अतः वृहद जनहित में नगर पालिका, नाथद्वारा द्वारा नाथद्वारा नगर में गौरव पथ से बागोल हाईवे तक बाईपास का निर्माण प्रस्तावित करते हुए सर्वे करवाया गया है तथा आयुक्त, नाथद्वारा व प्रस्तावित सडक से प्रभावित खातेदारों के मध्य सडक बनाये जाने हेतु दिनांक 09.02.2021 को अनुबन्ध पत्र सम्पादित हुआ है। अनुबन्ध अनुसार उक्त प्रस्तावित 18 मीटर बाईपास सडक बनाते हुये सडक के दोनों ओर 20 मीटर का वाणिज्यिक कोरिडोर प्रस्तावित किया जाना उल्लेखित है।

नगरपालिका के प्रस्ताव व खातेदारों से हुए अनुबन्ध को दृष्टिगत रखते हुए बनास नदी के उत्तर दिशा में मास्टर प्लान में दर्शाई गई 18 मीटर सड़क को दक्षिण दिशा में निरन्तर रखा जा सकता है क्योंकि तकनीकी दृष्टया 100 मीटर की दूरी पर दो पुलियाओं का होना भी उचित नहीं है एवं 100 मीटर से कम की दूरी पर मास्टर प्लान अनुसार 30 मीटर प्रमुख मार्ग व 18 मीटर का मुख्य मार्ग दिया जाना भी उचित नहीं है तथा मास्टर प्लान की पूर्व प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के अलाईन्मेन्ट में कुछ भवन भी आते है। बनास नदी के दक्षिण में नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित 18 मीटर सड़क एवं मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मीटर सड़क के मध्य की दूरी 100 मीटर से भी कम है।

अतः नगरपालिका द्वारा प्रेषित 18 मीटर प्रस्तावित सड़क के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार मास्टर प्लान की प्रस्तावित 100 फीट सड़क को बनास नदी के दक्षिण दिशा में बागोल रोड़ तक विलोपित करते हुए उक्त 100 फीट सड़क का संशोधित प्रस्ताव बनास नदी के सहारे-सहारे पश्चिम दिशा में आगे तक बढ़ाया जाकर लगभग 1 कि.मी. दूरी पर पुलिया प्रस्तावित करते हुए बागोल सड़क से मिलाया जाना भी प्रस्तावित है। उक्त संशोधित 100 फीट सड़क अलाईन्मेन्ट से उक्त सडक एक प्रमुख सड़क के साथ-साथ बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा एवं भविष्य में यातायात की दृष्टि से भी अधिक उपयोगी रहेगा। अतः उपरोक्त संशोधनों को समाहित कर मास्टर प्लान के पार्ट प्लान पर दर्शाते हुए मास्टर प्लान में संशोधन के प्रस्ताव तैयार किये गये है।

नाथद्वारा मास्टर प्लान-2031 में उक्त प्रस्तावित भू-उपयोग को दर्शाते हुये मास्टर प्लान (पार्ट प्लान) नगर पालिका, नाथद्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 29.07.2021 से 27.08.2021 तक 30 दिवस की अवधि के लिये आमजन के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार संशोधन बाबत् कोई भी व्यक्ति/संस्था/समूह राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत अपनी आपत्ति/सुझाव मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर अथवा वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर अथवा कार्यालय नगर पालिका, नाथद्वारा में उपरोक्त समयावधि के भीतर कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है।

अरविन्द सिंह कानावत,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
उदयपुर जोन, उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।